

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

अह
हुक
म

14⁰⁵/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपरि
प्रतिवादी सं. 1 व 2 की तामील पूर्व में सम्पत्ति
रूप से होकर लौरी है। वापस रूप में
उक्त प्रतिवादी गण से ओर से कोई एजेंडा अफिल
नही आया है। अतः प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरुद्ध
रकसक्षीय कार्यवाही असल में लाई जाती है। वापस
रकसक्षीय पत्रावली दिनांक 20/05/2019 को पेश है।

20/5/19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण
उप. / उप. दिनांक 20/05/19 को पेश है।
कार्यवाही के दिनांक 28-5-19

पुनरुद्धार: वकील वादी के उक्त फीक्षण व
PW-1 व PW-3 के शपथ पर उक्त उक्त पत्र
सामिल पत्रावली लिये सं. 1

28⁰⁵/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप.। उक्त में
वकील वादीगण की एक फीक्षण बहल सुनी गई। पत्रावली
वाले डाकैरार्य अहिल्दा दिनांक 11/06/19 को पेश
है।

11⁰⁶/₁₉

वकील वादीगण उप.। समयानुसार के चलते पत्रावली
नहीं लिखी जा सकी। पत्रावली पुनः बहल दिनांक
25/06/19 को पेश है।

25⁰⁶/₁₉

वकील वादीगण उप.। उक्त में पुनः बहल सुनी
गई। वापस डाकैरार्य मिसल दिनांक 03/07/19
को पेश है।

03⁰⁷/₁₉

पत्रावली पेश हुई। उक्त में पूर्व में बहल सुनी

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

जा चुकी है। दौरान वहल वकील वादीगण ने वादपत्र
में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुरोध
वादा डिक्री किया जाने का निर्देश किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध तजस्व
रेकार्ड, वैराग्या मुख्य परिणाम काबत शपथ पत्रों
का अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन
से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने योग्य
पाया जाने पर न्यायादित में स्वीकार किया जाता है।
पत्रावली में मेरे द्वारा पृथक से विस्तृत निर्णय
लिखा जाकर शापित पत्रावली किया गया।
पत्रावली फेसल रुमाए होकर नम्बर से कम
है तथा वाद तन्मगील दाखिल दफ्तर है। यह
निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 03/07/19 को
जुले न्यायालय में सुनाया गया।

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी .मुकाम खण्डेला

बइजलास श्री महीपाल सिंह आर.ए.एस

1. महादूराम पुत्र कजोड़ पौत्र जवाना बनाम 1. भूरीदेवी पत्नी रसूला पुत्रवधु जवाना
2. सुन्दरी पत्नी कजोड़ पुत्रवधु जवाना जाति गुर्जर जाति गुर्जर नि0 गुरारा तह0 खण्डेला जिला सीकर राज0
2. भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर राज0

वादीगण

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरुस्ती

मुकदमा नं. 25 सन्, 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री महिपाल सिंह आर.ए.एस व हाजिरी....श्री बनवारी लाल जांगू एडवोकेट मिनजानिब मुद्ई रूबरू..... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम गुरारा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0 के कृषि भूमि ख0नं0 1318 से 1322, 1339, 1342 से 1344, 1369 कित्ता 10 कुल रकबा 4.76 है0 के 1/4 भाग प्रतिवादी नं0 1 के स्थान पर 1/12 भाग का वादीगण को खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाकर तदानुसार खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जाकर राजस्व रेकार्ड दुरुस्त किया जावें। शेष रिकार्ड बदस्तूर रखा जावें।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 07 सन्, 2019 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत 8/03/07/19
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा खण्डेला (सीकर)

मुद्ई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह समूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुताफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुताफरिक		
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का बाह डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहे।